संख्या-30/2015/1213/एक-4-15-16बी-4/15 टी0सी0

प्रेषक,

शम्भू दयाल त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।

2- मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 21 अगस्त, 2015**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला प्रशासन के अन्तर्गत आयुक्त हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, वाराणसी मण्डलय वाराणसी के पत्र संख्या-3447/नाजिर-2015, दिनांक 13 मई, 2015 के माध्यम से प्राप्त निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन के क्रय किये जाने के संबंध में, प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी के निष्प्रयोज्य (अम्बेसडर कार) संख्या यू0पी0 65 के0 5005 के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन के रूप में टोयटा कम्पनी की इनोवा कार (2.5जी ई-4-एक्स, 7 सीट) कीमत रू0-11,24,829/-की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित शतों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त व्यय वित्तीय नियम संग्रह के सुसंगत क्रय नियमों एवं मितव्ययिता सम्बंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा। वाहन के क्रय के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नये वाहन का क्रय किया जा रहा है , उसके सापेक्ष पूर्व में वाहन का क्रय नहीं किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य हुए वाहन के सापेक्ष शासन अथवा अन्य स्रोत से पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(2) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन अनुदान संख्या -50 के अर्न्तगत जिला प्रशासन के लिए वाहनों की मद से ही क्रय किया गया हो। धनराशि का उपयोग केवल वाहन के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही किया जायेगा तथा वाहन का क्रय निर्धारित प्रक्रिया एवं सुसंगत क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सूक्ष्म तथा लघु उद्योग विभाग व राजस्व विभाग में निर्धारित नीति के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट पर किया जायेगा, वाहन क्रय करने के पश्चात धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

--2--

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे एवं उक्त निष्प्रयोज्य वाहन मण्डलायुक्त को ही आवंटित थे तथा वाहन प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(4) शासन द्वारा जिस प्रकार के वाहन के क्रय की अनुमति या स्वीकृति प्रदान की गई है, उसी प्रकार के वाहन को क्रय करके शासन को एक माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात ही संबंधित जनपद को अन्य वाहन स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा। नये वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर अनुबंध पर राज्य के अन्दर आथराइज्ड डीलर से नियमानुसार किया जायेगा, जिसको संबंधित मण्डलायुक्त स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-101-आयुक्त-01-मुख्य कार्यालय-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगां ।

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-1041(1)/दस-2015 दिनांक 17 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शम्भू दयाल त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

<u>संख्या-30/2015/1213 (1)एक-4-15-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (प्रथम),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, वाराणसी।
3- कोषाधिकारी वाराणसी।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5
5- वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-2।
6- राजस्व अनुभाग-6
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in